



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2026/D-323

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 310220 दिनांक 01/07/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Kavita Kumari Gupta W/o AVDHESH AGRAWAL	श्री सतीश चन्द पुत्र श्री हीरालाल	584	128.80 SQ. METER	JDA	SWARAN VIHAR	Name Transfer	आवेदिका श्रीमती कविता कुमारी गुप्ता पत्नी श्री अवधेश अग्रवाल द्वारा जविप्रा की योजना स्वर्ण विहार के आवासीय भूखण्ड संख्या 584 क्षेत्रफल 128.80 वर्गमीटर का नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। आवेदित भूखण्ड का लीजहोल्ड पट्टा दिनांक 23.12.2022 को श्री सतीश चन्द पुत्र श्री हीरालाल के पक्ष में जारी किया गया था। लीजधारक द्वारा आवेदित भूखण्ड के संबंध में समस्त कार्यवाही किये जाने हेतु पंजीकृत मुख्तयारनामा आम दिनांक 14.07.2023 के



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

माध्यम से श्री अवधेश अग्रवाल, श्री राकेश चन्द सिंघल, श्री सतीश चन्द गुप्ता को मु0आम नियुक्त किया गया है। उक्त मु0आम के आधार पर श्री अवधेश अग्रवाल, श्री राकेश चन्द सिंघल, श्री सतीश चन्द गुप्ता द्वारा आवेदित भूखण्ड को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 12.09.2024 के माध्यम से आवेदिका को बेचान किया गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Kavita Kumari Gupta W/o AVDHESH AGRAWAL को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।